महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को अपरान्ह् 12.15 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
4. डॉ. विभा शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) — सदस्य
5. डॉ. पंकज चौधरी, (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
6. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ **(ऑनलाईन उपस्थित हुए)** (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
7. श्रीमती पुष्पा सिंह (प्रमुख शासन सचिव,वित्त/संभागीय आयुक्त, अजमेर, के प्रतिनिधि) — सदस्य
8. डॉ. मोहम्मद नईम (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
9. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित सदस्यों का अध्यक्ष महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3327-34 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 02	विद्या परिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 04.09.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 03	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 12.09.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की समकक्षता हेतु जारी सूची को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 04	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-** **(1) प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रावधान है कि- "PG courses shall be allowed to be started at a college only if 5 years of continous and successful degree teaching has been conducted at the college in the concerned subject or group of subject as deemed fit by the concerned Board of Studies" राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 6 (8)शिक्षा/ग्रुप-3/2023 दिनांक 08.06.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)** के द्वारा **राजकीय महाविद्यालय परबतसर (नागौर)** को स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए.हिन्दी, पत्र क्रमांक प.6(6)शिक्षा/ग्रुप-3/2022 दिनांक 29.11.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)** के द्वारा **राजकीय महाविद्यालय गंगापुर (भीलवाड़ा)** को स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए.भूगोल, पत्र क्रमांक प. 6 (8)शिक्षा/ ग्रुप-3/2023 दिनांक 09.06.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)** के द्वारा **राजकीय महाविद्यालय नावां (नागौर)** को स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए.इतिहास एवं एम.ए. भूगोल, विषय आवंटित किये गये है । जबकि विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातक स्तर पर किसी विषय के पांच वर्ष तक संचालित होने के उपरान्त ही स्नातकोत्तर स्तर पर उस विषय के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त महाविद्यालयों को संचालित हुए अभी 05 वर्ष पूर्ण नहीं हुए है। उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये । माननीय कुलपति महोदय के आदेशों के अनुसार उक्त महाविद्यालयों को राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में उक्त विषयों	**शैक्षणिक-II**

	की नवीन अस्थाई सम्बद्धता दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । राज्य सरकार द्वारा अन्य राजकीय महाविद्यालयों के संबंध में भी इस प्रकार के आदेश जारी किये जा सकते है । माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की अनुपालना में उक्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही जारी है। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है साथ ही राज्य सरकार के द्वारा अन्य राजकीय महाविद्यालयों हेतु यदि इस प्रकार के कोई आदेश जारी किये जाते है तो उन्हें भी समान रूप से मान्य किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । यह व्यवस्था केवल राजकीय महाविद्यालयों के लिए ही मान्य है ।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी साथ ही राज्य सरकार से अन्य किसी राजकीय महाविद्यालय के संबंध में भी इसी प्रकार के आदेश प्राप्त होते है, तो उसे भी स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।**	
	(2) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(4)शिक्षा/ग्रुप-3/2023 दिनांक 23.05.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)** एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांकः एफ.12(352) आयो/ आकाशि/2019-04225 दिनांक 25.05.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)** के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 23769 दिनांक 11.09.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** के अनुसार **''राजकीय महाविद्यालय, नावां''** का तत्काल प्रभाव से नाम परिवर्तन पश्चात् महाविद्यालय का नाम **''श्रीमती रूकमणी देवी रामदेव लढ़ा राजकीय महाविद्यालय, नावां सिटी''**, किया गया है। अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**पुष्टि की गयी साथ ही राज्य सरकार से अन्य किसी राजकीय महाविद्यालय के संबंध में भी इसी प्रकार के आदेश प्राप्त होते है, तो उसे भी स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।**	
	(3) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिक के आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई :-	**संस्थापन**

	1. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26-07-2023 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1( )संस्था/ मदसविवि / 2023/17503-512 दिनांक 31-07-2023 के द्वारा स्व.श्री गोपाल सिंह, वाहन चालक के आश्रित पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चौहान को सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-25)** अनुकम्पा नियुक्ति के दिये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश के क्रम में जारी कार्यालय आदेश पुष्टि हेतु प्रबंन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 05	विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9- कार्यवृत्त पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं. 06	विभिन्न राजकीय उपक्रमों/बोर्ड/निगम आदि में एकाकी पदों के लिए पदोन्नति के अवसर सृजित करने हेतु एकल पदों (isolated post) के पदोन्नति पदों का सृजन किए जाने बाबत् दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हैं 1. शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र क्रमांक. प. 13 (23) वित्त/ नियम/2023 दिनांक 31 अगस्त 2023 व इसके परिशिष्ट-अ **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 10)** को प्रवृत्त एवं मान्य करने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। 2. उक्त परिपत्र में एकल पदों से पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि (09 वर्ष) अर्जित करने पर विद्यमान पद को क्रमोन्नत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त एकाकी पदों (Isolated Post) के लिए सृजित पदोन्नति अवसरों का विवरण (वेतन के पे लेविल सहित) भी निर्धारित कर दिया गया है । किन्तु पदोन्नति पद के लिए पदनाम संबंधित राजकीय उपक्रम/बोर्ड/निगम द्वारा अपने स्तर पर निर्धारित किए जाने के निर्देश है ।	**संस्थापन**

	अतः विश्वविद्यालय में एकल पदों (Isolated Post) पर कार्यरत कर्मचारियों **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 11)** के क्रमोन्नत पदों का पदनाम निर्धारण करने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र के अनुसार पदोन्नति की अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन करना प्रस्तावित है । इस हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 13 (23) वित्त/नियम/2023 दिनांक 31 अगस्त, 2023 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया तथा एकल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के क्रमोन्नत पदों का पदनाम निर्धारण करने एवं पदोन्नति की शर्तो के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं. 07	राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के पत्रांक F-12(3)FD/Rules/2023 जयपुर, दिनांक 25/07/2023 से जारी अधिसूचना से राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1996 में संशोधन किए जाने हेतु प्रवृत्त राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधन नियम 2023 के तहत राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1996 के नियम 54, 66, 67 तथा तत्संबंधी फार्म नं 7 एवं 33 में किए गए संशोधन एवं विद्यमान नियम 54 A के पश्चात् नियम 55 के पूर्व समाविष्ट किए गए नए नियम 54 B) के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय पेंशन नियमों के तत्संबंधी नियमों/प्रावधानों में यथास्थान संशोधन/समाविष्ट कर विश्वविद्यालय में दिनांक 01/04/2023 से प्रवृत्त करने पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2023 जयपुर, दिनांक 25.07.2023 को विश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2023 से प्रवृत्त एवं मान्य किया गया ।**	
मद सं. 08	प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22.03.2023 एवं 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों से लिये जाने वाले सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं आर्थिक दण्ड की राशियों पर जी. एस. टी. की वसूली किये जाने के संबंध में लिए गए निर्णयों के क्रम में जुलाई 2017 से 2022-23 तक जी. एस. टी. की वसूली बाबत् जी.एस.टी. विभाग द्वारा जारी विभिन्न सम्मन के क्रम में सम्बद्धता शुल्क के साथ जी. एस. टी. विभाग के निर्देश पर जी. एस. टी. राशि की वसूली की जानी है। उक्त संबंध में राजस्थान निजी महाविद्यालय संघ द्वारा	**वित्त एवं लेखा**

	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर कर जी. एस. टी. की वसूली रोके जाने हेतु अभ्यर्थना जरिये डी. बी. सिविल रिट पिटीशन 6867/2023 पेश की गई जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त रिट में आदेश दिनांक 19.07.2023 के बिन्दु संख्या 5 में निम्न आदेश प्रदान किये हैं - 5. In such circumstances, the interim orders passed in writ petitions No. 7701/2023, 6732/2023, 7702/2023 and 7284/2023 are modified to the extent that the respondent - University shall not cause any hindrance in admission process undertook by the petitioner institutions subject to the condition that the GST amount, as demanded, is paid by them. अतः माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक उक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 13)**	
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श करने से पूर्व वित्त नियंत्रक को बैठक में आमंत्रित किया गया इसके उपरान्त प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के निर्णय संख्या 8 (2) को अधिक्रमित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर **D.B. Civil Writ Petition No. 6867/2023** चौधरी परमाराम गोदारा, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाम यूनियम ऑफ इंडिया के निर्णय दिनांक 19.07.2023 के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. जिन महाविद्यालयों से वर्ष 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च 2023 तक अर्थात लगभग 06 वर्ष का जी.एस.टी. शुल्क वसूल किया जाना है, उन महाविद्यालयों के द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व में जमा कराये गये शुल्क यथा-संबद्धता शुल्क, विलम्ब शुल्क, निरीक्षण शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क व आर्थिक दण्ड इत्यादि पर वसूली जाने वाली जी.एस.टी. राशि मय जी.एस.टी. विभाग द्वारा लगायी गयी पेनल्टी दो भागों में वसूली जानी है । अर्थात संबंधित महाविद्यालय पर लागू होने से प्रथम 03 वर्ष की जी.एस.टी. वसूली दिसम्बर, 2023 तक की जानी है तथा शेष वर्षो की जी. एस.टी. शुल्क की राशि दिसम्बर, 2024 तक वसूल की जानी है । 2. जिन महाविद्यालयों से सत्र 2020-21 से 2022-23 तक अर्थात कुल 03 वर्ष की जी.एस.टी. शुल्क वसूल किया जाना है उन महाविद्यालयों के द्वारा बकाया जी.एस.टी शुल्क माह दिसम्बर, 2023 तक जमा कराया जाय ।	

	3. अनुभाग/समिति द्वारा वसूल की जाने वाली जी.एस.टी. राशि की गणना 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2023 तक ईकजाइ रूप से एक साथ की जानी है तथा महाविद्यालय को दिये जाने वाले वसूली पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाय कि यदि कोई महाविद्यालय उक्त जी.एस.टी. राशि को एक साथ सम्पूर्ण रूप से जमा कराना चाहे, तो वह जमा करा सकता है । 4. महाविद्यालय की विभिन्न प्रकार की पत्रावलियां जिनमें जिस सत्र से सम्बद्धता वृद्धि की कार्यवाही की जानी है, उसके लागू प्रत्येक सत्र के आर्थिक दण्ड व उस पर लगने वाली सम्पूर्ण जी.एस.टी. (मय पेनल्टी अगर हो तो) राशि की वसूली एक साथ की जाय । 5. जी.एस.टी. विभाग से ईकजाइ रूप से जी.एस.टी. वसूली के संबंध में यदि कोई पत्र प्राप्त होता है, तो 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2023 तक की जी.एस.टी. राशि की वसूली सम्पूर्ण शुल्कों यथा-संबद्धता शुल्क, विलम्ब शुल्क, निरीक्षण शुल्क, सीट अभिवृद्धि शुल्क व आर्थिक दण्ड इत्यादि पर एक साथ की जानी है । वर्तमान में जी.एस.टी. विभाग द्वारा जो डिमाण्ड भेजी जायेगी संबंधित महाविद्यालय उसे यथासमय जमा करायेंगे । 6. जी.एस.टी. विभाग अगर विश्वविद्यालय पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगाता है तो वह भी महाविद्यालयों से वसूली जाएगी ।	
मद सं. 09	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक में मद संख्या 14 पर उपाधियों के कॉमन फॉर्मेट में उपाधि लेखन के समय माता पिता का नाम जोड़े जाने व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप चिप लगाए जाने का निर्णय हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक 2402 दिनांक 13.09.2023 में चिप नहीं लगाये जाने की जानकारी मिली है । प्रबंध मण्डल की 105वीं बैठक के मद संख्या 7 के निर्णय में विद्या परिषद् की 71वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई थी । उक्त निर्णय के आलोक में प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 14)**	
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2402 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार उपाधि में चिप नहीं लगाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई । अतः म.द.स. विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली उपाधि में चिप लगाने बाबत् लिये गये निर्णय को स्थगित किया जाता है ।	

	2. इस वर्ष तैयार की जाने वाली उपाधि के फीचर्स पूर्ववत ही रहेंगे ।	
मद सं. 10	विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II को दिये जा रहे उच्चतर वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार से वांछित स्वीकृति प्राप्त करने हेतु किये गये पत्राचार के क्रम में राज्य सरकार से पत्र क्रमांक प. 1(5) उ.शि./ग्रुप-5/2018 जयपुर दिनांक 21.10.2022 प्राप्त हुआ था **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**, जिसे विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के मद संख्या 19 पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था । प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद पर विचार-विमर्श करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 1(5) उ.शि./ग्रुप-5/ 2018 जयपुर दिनांक 21.10.2022 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य कर लिया गया तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड-II को दिये जा रहे उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार निर्णय लिया गया कि- **"राज्य सरकार के उक्त पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ ग्रुप-5/ 2018 जयपुर, दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या 01 में संदर्भित पत्र दिनांक 03.11.2017 के अनुसार कार्मिकों (स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II) को वेतनमान दिये जाने हेतु तथ्यों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन/राय प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया ।"** प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 02 की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 1(5) उ.शि./ ग्रुप-5/2018 जयपुर दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या 01 में संदर्भित पत्र दिनांक 03.11.2017 के बिन्दु संख्या 01 के संबंध में, राज्य सरकार को पत्र क्रमांक एफ 1 ( )संस्था./ मदसविवि/ 2023/ 3260 दिनांक 31.01.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** प्रेषित कर, वर्ष 2018 में रिट याचिका संख्या 24079/2018 श्री नरेन्द्र कुमार सोनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर करने वाले 09 याचिकाकर्ता स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के संबंध में तथा 05 कार्यरत एवं 02 मृतक स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II जिन्होंने माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं की है, को उक्त पत्र के आधार पर उच्चतर वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन/राय मांगी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित उक्त पत्र के क्रम में राज्य सरकार से पत्र क्रमांक एफ 1 (5) उ.शि./ग्रुप-5/2018 दिनांक	**संस्थापन**

	23.08.2023 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-17**) प्राप्त हुआ है, जिसमें स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II के उच्चतर वेतनमान/हाईयर पे-स्केल की स्वीकृति के संबंध में मार्गदशन/राय दी गयी है कि-"विचाराधीन प्रकरण में वित्त विभाग के मार्गदर्शन अनुसार इस विभाग के पत्र क्रमांक प. 7 (1) शि.-4/2017 पार्ट दिनांक 03.11.2017 एवं पत्र क्रमांक प. 14 (20) शि.-4/2007 पार्ट दिनांक 18.09.2020 के संदर्भ में पत्र दिनांक 03.11.2017 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति के दी जाने वाली हायर स्केल माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में केवल याचिकाकर्ताओं को उनके पद पर बने रहने तक ही देय होगी । इस प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की गयी जो इस प्रकार है कि- **"पत्रावली का परीक्षण किया गया । पत्रावली में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक (102वीं) दिनांक 17.11.2022 में लिये गये निर्णय पर पत्रांक एफ 1 (5) उ.शि. ग्रुप-5/2018 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा राज्य सरकार की राय प्राप्त हो चुकी है । अतः राज्य सरकार द्वारा दी गई राय के बाद मेरे द्वारा राय देने का कोई औचित्य नहीं है ।"** उक्त प्रकरण पर वित्त नियंत्रक महोदया की राय प्राप्त की गयी, जो कि इस प्रकार है:- "The letter of J.S. Higher Education of 21-10-22 to be seen. Point No.1- The action to be taken as per letter of 23-08-23, 03-11-2017 and 18-09-2020 for petitioners. Point No. 2 is not acceptable. Point No. 3 is not acceptable." अतः राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1 (5) उ.शि./ ग्रुप-5/2018 दिनांक 23.08.2023 के क्रम मे प्राप्त विधिक राय के आलोक में रिट याचिका संख्या 24079/2018 श्री नरेन्द्र कुमार सोनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर करने वाले 09 याचिकाकर्ता स्टेनोग्राफर ग्रेड-II को दिनांक 01.04.1999 से वेतनमान 5500-175-9000 का लाभ दिये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. **प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के निर्णय संख्या 19 (2) की पालना में राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 3260 दिनांक 31.01.2023 प्रेषित कर वर्ष 2018 में रिट याचिका संख्या 24079/2018 दायर करने वाले 09 याचिकाकर्ता स्टेनोग्राफर ग्रेड-II एवं कार्यरत अन्य 05 एवं मृतक 02 स्टेनोग्राफर्स ग्रेड-II को उच्चतर वेतनमान दिये जाने के संबंध में**	

	मांगी गयी राय/मार्गदर्शन मांगा गया था । इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 23.08.2023 में याचिकाकर्ता स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के संबंध में दी गयी राय स्पष्ट नहीं होने के कारण वर्ष 2018 में रिट याचिका संख्या 24079/2018 दायर करने वाले 09 याचिकाकर्ता स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, जिन्होंने राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 1 (5) उ.शि./ ग्रुप-5/ 2018 जयपुर दिनांक 24.11.2020 के क्रम में उक्त वाद को प्रत्याहरित कर लिया था, को पत्र दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या 01 में संदर्भित पत्र दिनांक 03.11.2017 के अनुसार, याचिकाकर्ता मानते हुए, दिनांक 01.04.1999 से उच्चतर वेतनमान 5500-175-9000 का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं, के संबंध में राज्य सरकार से पुनः स्पष्ट राय/मार्गदर्शन मांगा जाय (तथा) स्टेनोग्राफर ग्रेड-I की वेतन विसंगति को वित्तीय नियमों के अनुरूप दूर किया जाय ।	
मद सं. 11	विश्वविद्यालय की वर्ष 2022-23 की आयकर रिटर्न दाखिल किये जाने के संबंध में सनदी लेखाकार के परामर्शानुसार विश्वविद्यालय के आन्तरिक आय स्त्रोत के साथ विश्वविद्यालय अंशदान से सृजित समस्त पृथक-पृथक फण्डों तथा वित्त एवं लेखा के अतिरिक्त अन्य विभागों से सम्बन्धित एफ. डी. आर./बचत खातों की आय सम्मिलित किये जाने के आधार पर तैयार अनुमानित आय-व्यय के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए तथा, विश्वविद्यालय की पुरानी स्थाई सम्पत्तियाँ की रिपेयर मेनटेनेंस विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि होने तथा वृहद संख्या में सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रयोजनार्थ प्रत्याशित विशिष्ट मदों में होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के बजट फाइनेंसियल एवं अकाउण्ट्स रूल के नियम 237 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-18**) के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रयोजन हेतु निम्नानुसार नवीन विशिष्ट फण्ड/रिजर्व का सृजन कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध राशि में से उक्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नानुसार अंशदान राशि का प्रावधान प्रवृत्त कर तद्नुसार लेखों में इन्द्राज किये जाने के संबंध में विचारार्थ मद प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है:- 1. रिपयेर एण्ड मेनटेनेन्स फण्ड — 10 करोड़ 2. स्पेशल रिपेयर — 05 करोड़ 3. स्पोर्टस डवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग — 05 करोड़ 4. स्कॉलरशिप — 05 करोड़ 5. रिटायरमेंट फण्ड — 20 करोड़ **कुल 45 करोड़**	वित्त एवं लेखा

निर्णय	निर्णय संख्या 19 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।	
मद सं. 12	1. (i) विश्वविद्यालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर श्रीमती मंजुलिका रॉबिन्सन एवं श्री भगवान दास चौहान की नियुक्ति वेतन श्रृंखला 1640-2900 में आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/93/3062 दिनांक 21.04.1993 के द्वारा प्रदान की गई। (ii) कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत श्रीमती माधुरी पाराशर एवं श्री भँवर लाल चौधरी को वेतन श्रृंखला 1200-2050 में नियुक्ति प्रदान की गई। 2. प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 20.12.2002 में दो विश्वविद्यालयों में दी जा रही उच्चतर वेतनमान के आधार पर इस विश्वविद्यालय में भी वरिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को निम्नानुसार उच्चतर वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से दिये जाने का निर्णय लिया:- 01.07.1998 से विद्यमान 01.07.1998 से पुनरीक्षित (i) वरिष्ठ तकनीकी सहायक 1640-2900 6500-10500 (ii) कनिष्ठ तकनीकी सहायक 1200-2050 4000-6000 उपरोक्त निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2003/1366 दिनांक 25.01.2003 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये गये। 3. तत्पश्चात् उपरोक्त पदों को शैक्षणिक संवर्ग में रखते हुए प्रबंध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29.08.2016 के मद संख्या 13 पर लिये गये निर्णय के अनुसार 10 वर्ष पूर्ण करने तथा अगले 08 वर्ष पूर्ण करने पर वेतन उन्नयन किया गया:- 10 वर्ष अगले 08 वर्ष (18 वर्ष पूर्ण करने पर) (i) वरिष्ठ तकनीकी सहायक 7500-12000 8000-13500 (ii) कनिष्ठ तकनीकी सहायक 5500-9000 6500-10500 4. ऑडिट दल द्वारा उपरोक्त उच्चतर वेतनमान एवं वेतन उन्नयन (10 वर्ष एवं अगले 08 वर्ष पर) वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान को अनियमित मानते हुए वसूली किये जाने के सम्बन्ध में आक्षेप जारी किया। 5. राज्य सरकार के पत्रांक प.1(5)उ.शि./ग्रुप-5/2018 दिनांक 07.10.2020 के अनुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायक का वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में ग्रेड पे-4800/- में पे लेवल-12 व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में मानते हुए उनके	संस्थापन

	सेवानिवृति तक अथवा उच्च पद पर पदोन्नति तक देय होगी। सेवानिवृति पश्चात् वेतनमान ग्रेड पे-4200/- एवं पे लेवल-11 में निर्धारित किया जावे। 6. विश्वविद्यालय में राज्य सरकार से सेवानिवृत लेखाधिकारी पुनर्नियुक्त लेखा सलाहकार की टिप्पणी के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 14 के अनुसार पे लेवल-13 तक के कार्मिकों को 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर ए0 सी0 पी0 का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। अतः पूर्व में जारी उच्चतर वेतनमान एवं वेतन उन्नयन वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान को निरस्त कर प्रथम नियुक्ति के वेतनमान में नियुक्ति तिथि से 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर ए0 सी0 पी0 का लाभ दिये जाने एवं पूर्व में दिये गये उच्चतर वेतनमान एवं सीनियर स्केल तथा सलेक्शन स्केल से पूर्व में प्राप्त परिलाभों का समायोजन करते हुए अन्तर की राशि का Due Drawn Statement के अनुसार वसूली/भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-19, 20, 21, 22 एवं 23)	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में दिये गये उच्चतर वेतनमान, वेतन उन्नयन एवं चयनित वेतनमान को निरस्त कर प्रथम नियुक्ति के वेतनमान में नियुक्ति तिथि से 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर ए.सी.पी. का लाभ दे दिया जाय । उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों को 09, 18 एवं 27 वर्ष पर दी जाने वाली ए.सी.पी. के लाभ एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण दल के द्वारा लगाये गये आक्षेप में बतायी गयी वसूली की राशि का Due Drawn Statement तैयार करवाकर अन्तर की राशि समायोजन किया जाय ।**	
मद सं. 13	डॉ0 ईश्वर प्रकाश दाधीच, सहायक अनुभागाधिकारी ने अपने माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रृषा तथा अपरिहार्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारणों से अपने से स्वैच्छिक सेवानिवृत होने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। डॉ0 ईश्वर प्रकाश दाधीच की प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.01.1989 को लिपिक पद पर होने से अब तक 34 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। विश्वविद्यालय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में प्रवृत्त नियम 17 a के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृति दिये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-24 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन एवं नियम)**	**संस्थापन**

निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर डॉ0 ईश्वर प्रकाश दाधीच, सहायक अनुभागाधिकारी को, उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की तिथि से 90 दिवस पूर्ण होने पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया बशर्ते डॉ. दाधीच लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा तैयार की गई वित्तीय शर्तो को मानने के लिए सहमत हो । डॉ. दाधीच की पदोन्नति के संबंध में अन्य कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है । अतः डॉ0 दाधीच के वर्तमान पद एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद में वादियों द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर **Due Drawn Statement** तैयार करवाकर अन्तर की राशि को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रोकने (**with hold**) हेतु वित्त विभाग के प्रस्ताव से डॉ. दाधीच सहमत होने का शपथ-पत्र दे ।	
मद सं. 14	प्रबंध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के मद संख्या 11 पर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 मय संलग्नक एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 मय संलग्नक एवं आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 17.06.2023 जो कि राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहाँ NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत है जिसे महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 11.07.2023 की बैठक में हुये निर्णय की पालना में संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग को राज्य सरकार के कार्मिकों के समान मानदण्डों पर विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु पत्रांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2023/37196-207 दिनांक 31.08.2023 प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय में पेंशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उपरोक्त नोटिफिकेशन प.13(12) वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, दिनांक 17.06.2023 एवं हाल ही में प्राप्त आदेश दिनांक 25.08.2023 को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-26, 27 एवं 28)**	**संस्थापन**

निर्णय	**राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प 13 (12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, आदेश क्रमांक प. 13 (12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 17.06.2023 तथा आदेश क्रमांक प. 13 (12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 25.08.2023 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करते हुए वर्ष 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन स्कीम को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 15	प्रबन्ध मण्डल की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 की मद सं. 12 में लिए गए निर्णय की पालना में शैक्षणिक पदों के रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा तैयार रोस्टर रजिस्टर को विश्वविद्यालय पत्रांक एफ.1 ( ) संस्था / मदसविवि/2023/18092 दिनांक 02.08.2023 द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को कार्मिक विभाग से रोस्टर रजिस्टर को अनुमोदन कराकर प्रेषित करने हेतु भेजा गया जिसके प्रत्युतर में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक प.14 (20) शिक्षा-4/2017 पार्ट दिनांक 18.09.2023 प्राप्त हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय को मॉडल रोस्टर रजिस्टर के अनुकूलन में अपना रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उसे अपने वैधानिक निकाय से अनुमोदित करवाया जाकर, आगामी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होना बताया। साथ ही इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2021 एवं 13.09.2021 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया है। राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पदों हेतु गठित रोस्टर समिति द्वारा तैयार किए गए रोस्टर रजिस्टर को अनुमोदनार्थ एवं उपरोक्त रोस्टर की पालना में शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र का ले-आउट, विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देशों हेतु गठित समिति द्वारा तैयार विज्ञप्ति, आवेदन पत्र का ले आउट एवं दिशा निर्देशों के अनुमोदन पर विचार कर निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36)**	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त मद पर विस्तृत एवं गहन विचार-विमर्श कर शिक्षक भर्ती के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 14 (20) शिक्षा'4/2017 पार्ट, जयपुर दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में सर्वसम्मति से रोस्टर रजिस्टर का अनुमोदन किया गया साथ शिक्षक भर्ती हेतु तैयार किये गये आवेदन-पत्र के ले-आउट, विज्ञप्ति एवं नियम एवं शर्तो को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार से भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन/संशोधन संबंधी कोई आदेश**	

	विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि तक प्राप्त होते है, तो वह भी इस भर्ती पर प्रभावी होंगे । इन अनुमोदनों के अंतर्गत शिक्षक भर्ती हेतु **Advertisement** देने हेतु सहमति दी ।	
मद सं. 16	विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-37)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 17	1. 69 वीं विद्या परिषद के निर्णय संख्या 5 (3) तथा 20 के क्रम में विश्वविद्यालय को Pharmacy Council of India (PCI) से सत्र 2023-24 हेतु B- Pharma तथा D- Pharma- हेतु 60-60 सीटों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है । PCI से प्राप्त approval letter प्रबंध मंडल में प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-38)** 2. B-Pharma तथा D- Pharma- पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित होने वाले इन पाठ्यक्रमों के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारण की अनुशंसा की है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-39)** B-Pharma- Rs- 80,000 प्रति वर्ष SFS शुल्क + विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क D-Pharma- Rs- 60,000 प्रति वर्ष SFS शुल्क+ विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 23979 दिनांक 14.09.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-40)** प्रबंध मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । 3. B-Pharma तथा D- Pharma- पाठ्यक्रमों को विज्ञान संकाय के अधीन नवीन विभाग Department of Pharmacy में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। प्रबंध मंडल के समक्ष मद नवीन विभाग Department of Pharmacy खोले जाने हेतु प्रस्तुत है । 4. B-Pharma तथा D- Pharma- पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु PCI द्वारा निर्धारित योग्यता, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा स्कीम को ही विश्विद्यालय में प्रवृत किया जाना प्रस्तावित है **(कार्यसूची का परिशिष्ट-40, 42 एवं 43)** । 5. B-Pharma तथा D- Pharma पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रारंभ में PCI द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों से अध्यापन करवाया जाना तथा तदनुरूप राज्य सरकार के समक्ष नवीन पदों के सृजन एवं	**प्रो. अरविन्द पारीक**

	नियुक्ति की अनुमति लिखा जाना प्रस्तावित है। 6 B-Pharma तथा D-Pharma पाठ्यक्रम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर से पहले से ही संचालित है, उसी के अनुरूप दोनों ही पाठ्यक्रमों में मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाना प्रस्तावित है।	
निर्णय	उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिए गए : 1. बिन्दु संख्या 01 को स्वीकार किया गया । 2. बिन्दु संख्या 02 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 3. बिन्दु संख्या 03 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नवीन विभाग (Department of Pharmacy) खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक बी.फार्मा एवं डी.फार्मा को विज्ञान संकाय के अधीन चलाया जाए। 4. बिन्दु संख्या 04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 5. बिन्दु संख्या 05 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति ये निर्णय लिया गया कि बी.फार्मा एवं डी.फार्मा पाठयक्रमों के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु नवीन पदों के सृतन एवं नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित कर अनुमति प्राप्त की जाये तब तक अतिथि शिक्षक के रूप में लगाये जाने वाले सहायक आचार्य को राशि रु.800/- प्रति कालांश एवं अधिकतम मासिक मानदेय रु.45000/- भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन किये जाने का निर्णय लिया गया। 6. बिन्दु संख्या 06 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रभारी, फार्मेसी की नियुक्ति करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
मद सं.18	प्रबन्ध बोर्ड के 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ 44)**	शैक्षणिक-।
निर्णय	उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।	
मद सं.19	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, के पत्रांक प.5(1)शिक्षा-4/2019 पार्ट जयपुर दिनांक 24.08.2023 जिसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं वर्ष 2008 के आमेलन अधिनियम के तहत् आमेलन से वंचित रहे अस्थाई	

	शिक्षकों/योग प्रशिक्षकों को नियमित करने हेतु जारी संशोधन अधिनियम, 2023 की पालना बाबत प्राप्त हुआ है, माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उक्त पत्र पर विचार कर निर्णय हेतु मद प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ 45)**	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श कर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5(1) शिक्षा-4/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक 24.08.2023 के अनुसार अस्थाई अध्यापकों का आमेलन अधिनियम, 2008 के अनुसार अस्थाई शिक्षकों/योग प्रशिक्षकों को नियमित करने के क्रम में जारी संशोधन अधिनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार सर्वसम्मति से छानबीन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। जिन बिन्दुओं पर सदस्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर होनी है, उनकी नियुक्ति करने हु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा जिन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार अथवा माननीय कुलाधिपति महोदय के स्तर से होनी है, उन सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार तथा माननीय कुलाधिपति महोदय को तद्नुसार पत्र प्रेषित किया जाए।	
मद सं.20	वित्त समिति की 42वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ 46)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	वित्त समिति के कार्यवृत्त पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए : 1. वित्त समिति के कार्यवृत्त की अनुशंसा संख्या 03 पर अनुशंसा की गई कि - "प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।" अतः बिन्दु संख्या 03 के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए स्वीकार किया गया। 2. वित्त समिति के कार्यवृत्त की अनुशंसा संख्या 2(1) को निर्णय संख्या 17(5) के अनुसार स्वीकार किया गया।	

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलपति **कुलसचिव**